न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी :- सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 110/2019

अवान-नमुकः वालादेवी पत्नी हरिओम जाति गुर्जर निवासी सामालियापुरा तहसील राजाखेड़ा।

.......वादिया

बनाम

1- मुन्नीदेवी पत्नी उमरावसिंह
2- राजपाल
3- रामपालसिंह
4- मलपालसिंह
(2 से 4 पि. उमराव सिंह) जाति गुर्जर नि. सामालियापुरा तह. राजाखेड़ा
5- सरोज पत्नी दीपचन्द
6- करतारसिंह पुत्र महात्मा सिंह
7- रामवती पत्नी दर्शन जाति ठाकुर नि. सामालियापुरा
8- तहसीलदार राजाखेड़ा व हाईवे लैण्ड ओनर

.......प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा आदेश निर्देश दिलाये जाने प्रतिकार (मुआवजा) राशि अर्न्तगत धारा 88 व 75 RTA

उपस्थिति :- 1 श्री आश्विनी कुमार जैन एड. वादिया
2 श्री इस्लाम खां एड. प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक :- 31-12-2019

वादिया ने आवा इस कथन के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख. नं. 1691 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा स्थित ग्राम नादौली तहसील राजाखेड़ा मे वादिया 1/6 भाग की अविभाजित खातेदार एवं काबिज है। यह आराजी प्रतिवादी स. 1 के पति एवं 2 ल. 4 के पिता उमरावसिंह की खातेदारी की है। उनमेंसे यह आराजी मे 1/6 हिस्सा पहिले बयनामा वादिया ने क्रय किया है। उमराव सिंह का देहान्त हो जाने से उनका समस्त हक प्रतिवादी सं 1 ल. 4 ने प्राप्त किया है। इस आराजी में प्रतिवादी सं. 5 व 6 का हिस्सा 1/6 व 1/6 है तथा प्रतिवादी सं 7 का हिस्सा 1/3 है उपरोक्त विवादित आराजी रकबा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

3 बीघा 12 बिस्वा में से 1.00 बीघा भूमि को सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई बांध हेतु अवाप्त किया गया है। इस भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित कर, 01 बीघा जमीन का कुल मुआवजा 6,79842/- रु निर्धारित कर भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस मुआवजा राशि के अवार्ड में केवल प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पूर्वपुरुष उमराव सिंह का नाम अंकित है। वादिया का नाम अंकित नहीं है, इसी त्रुटि से अथवा पटवारी हल्का द्वारा वादिनी को छोड़ा गया है। इस मुआवजा राशि में वादिया का 1/6 हिस्सा होने से मुआवजा राशि 1,13,307/- रुपये बनती है। इसलिए यह राशि वादिया को मिलनी चाहिये। वादिया द्वारा प्रतिवादीगण से इस बाबत सहमति हेतु कहा तो वो इन्कारी हो गये। तब वादिया ने अपने हकों के लिए यह दावा पेश किया है तथा वादिया को मुआवजा राशि 1,13,307/- रु भुगतान करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से दिनांक 3.12.19 को न्यायालय में अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें उनके द्वारा दावा डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना। दोनों पक्ष दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। प्रस्तुत रिकार्ड एवं पत्रावली के अवलोकन से हम दावा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 1691 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा स्थित ग्राम नादौली में वादिया 1/6 भाग की अविभाजित खातेदार काश्तकार है। इसलिए वह इस आराजी में से जल संसाधन विभाग द्वारा अवाप्त की गयी 1.00 बीघा भूमि के 1/6 भाग के सभी लाभ परिलाभ, उमराव सिंह के स्थान पर प्राप्त करने की अधिकारी होगी, अतः उसे अनुसार विवादित आराजी से अवाप्त की जाने वाली 1.00 बीघा भूमि के 1/6 भाग के सभी लाभ परिलाभ प्राप्त करने का

उपखण्ड अ[illegible]
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः — 3

(3)

अधिकारी खातेदार किता जरिये पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] अंकार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31-012-2019 को मेरे द्वारा लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा